न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 88/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

हीरानंदानी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि. जरिये ऑथराईज्ड ऑफिसर अमोल सुरादकर **पंजीकृत कार्यालयः–** 514, डालामल टॉवर्स, 211, एफपीजे मार्गए नरीमन प्वाईन्ट, मुम्बई–400021 एवं शाख कार्यालय– आफिस नं. 1, गुरूप्रज्ञा संकल्प टॉवपर, सिरसी रोड़, वैशाली नगर, क्वीन्स रोड़ के पास, जयपुर, राज. 302021

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **बृजपाल जैसाराम पुत्र जैसाराम,** निवासी– ग्राम पोस्ट जसरासर, मुख्य चौराहे के पास, तह. लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान–332315
   अन्य पता– पट्टा नं. 93, मिसल नं. 92, ग्राम पंचायत जसरासर, मुख्य चौराहे के पास, तह. लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राज. 332315
2. **सविता बृजपाल पत्नी बृजपाल,** निवासी– ग्राम पोस्ट जसरासर, मुख्य चौराहे के पास, तह. लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान–332315
   अन्य पता– पट्टा नं. 93, मिसल नं. 92, ग्राम पंचायत जसरासर, मुख्य चौराहे के पास, तह. लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राज. 332315
3. **महिपाल जैसाराम पुत्र जैसाराम,** निवासी– ग्राम पोस्ट जसरासर, मुख्य चौराहे के पास, तह. लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान–332315
   अन्य पता– पट्टा नं. 93, मिसल नं. 92, ग्राम पंचायत जसरासर, मुख्य चौराहे के पास, तह. लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राज. 332315

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

–अप्रार्थीगण (ऋणी / बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः– 20 जनवरी, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **बृजपाल जैसाराम पुत्र जैसाराम, सविता बृजपाल पत्नी बृजपाल** एवं **महिपाल जैसाराम पुत्र जैसाराम** की ओर से पुनर्भुगतान

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **बृजपाल** के स्वामित्व की निम्न बंधक सम्पतियां हैः–

i. **ग्राम पंचायत जसरासर, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर द्वारा जारी दिनांक 14.12.2021 को पट्टा नं. 92, मिसल संख्या 92, बुक नं. 13, संकल्प संख्या 02 है।** जिसका **कुल क्षेत्रफल 299.82 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में महिपाल का मकान, पश्चिम दिशा में भूमि नाथूराम, उत्तर दिशा में रास्ता आम रोड़ एवं दक्षिण दिशा में बृजपाल व महिपाल की भूमि स्थित है।

ii. **ग्राम पंचायत जसरासर, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर द्वारा जारी दिनांक 14.12.2021 को पट्टा नं. 93, मिसल संख्या 93, बुक नं. 12, संकल्प संख्या 02 है।** जिसका **कुल क्षेत्रफल 299.12 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में भींवजी, पोखर व भगवानजी वगैरह की भूमि, पश्चिम दिशा में बृजपाल का मकान, उत्तर दिशा में रास्ता आम रोड़ एवं दक्षिण दिशा में भूमि बृजपाल व महिपाल की स्थित है।

उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर रू. 10,24,359/– (अक्षरे दस लाख चौबीस हजार तीन सौ उनसठ) एवं रू. 6,40,200/– (अक्षरे छः लाख चालीस हजार दो सौ) **कुल रू. 16,64,559/– (अक्षरे रूपये सोलह लाख चौसठ हजार पांच सौ उनसठ)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **18.04.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **18.04.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **बृजपाल जैसाराम पुत्र जैसाराम, सविता बृजपाल पत्नी बृजपाल** एवं **महिपाल जैसाराम पुत्र जैसाराम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **बृजपाल** के स्वामित्व की निम्न बंधक सम्पतियां हैः–

i. **ग्राम पंचायत जसरासर, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर द्वारा जारी दिनांक 14.12.2021 को पट्टा नं. 92, मिसल संख्या 92, बुक नं. 13, संकल्प संख्या 02 है।** जिसका **कुल क्षेत्रफल 299.82 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में महिपाल का मकान, पश्चिम दिशा में भूमि नाथूराम, उत्तर दिशा में रास्ता आम रोड़ एवं दक्षिण दिशा में बृजपाल व महिपाल की भूमि स्थित है।

ii. **ग्राम पंचायत जसरासर, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर द्वारा जारी दिनांक 14.12.2021 को पट्टा नं. 93, मिसल संख्या 93, बुक नं. 12, संकल्प संख्या 02 है।** जिसका **कुल क्षेत्रफल 299.12 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में भींवजी, पोखर व भगवानजी वगैरह की भूमि, पश्चिम दिशा में बृजपाल का मकान, उत्तर दिशा में रास्ता आम रोड़ एवं दक्षिण दिशा में भूमि बृजपाल व महिपाल की स्थित है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **20 जनवरी, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर